RCMS
2020/00053

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 32 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.24.02.2020	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी विसनाराम खीचड तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम साण्डन की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) सें नया खाता खंख्या 131 पुराना खाता संख्या 122 में खातेदार विसनाराम पुत्र अमराराम हिस्सा 1/4 निवासी साण्डन में राहिन हिस्सा 1/4(खसरा सं. 17) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शोभासर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें राहिन की प्रविष्टि सहवन से हो गयी जो गलत है अतः खातेदार विसनाराम पुत्र अमराराम कि राहिन प्रविष्टी मे बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर हटाने का आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का खारिया कनीराम व उपतहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) सें में नया खाता खंख्या 131 पुराना खाता संख्या 122 में खातेदार विसनाराम पुत्र अमराराम हिस्सा 1/4 निवासी साण्डन में राहिन हिस्सा 1/4(खसरा सं. 17) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शोभासर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें राहिन की प्रविष्टि सहवन से हो गयी जो गलत है अतः खातेदार विसनाराम पुत्र अमराराम कि राहिन प्रविष्टी मे बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर हटाना किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) नया खाता संख्या 131 पुराना खाता संख्या 122 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	साण्डन	131/122	विसनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट हिस्सा 1/4 निवासी साण्डन खातेदार राहिन हिस्सा 1/4(खसरा सं. 17) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शोभासर	विसनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट हिस्सा 1/4 निवासी साण्डन खातेदार राहिन हिस्सा 1/4(खसरा सं. 657/18 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शोभासर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ व स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 14:09:55 IST
Reason: SelfAttested